beef up security around the oil refineries in the State;

(b) if so, whether ULFA militants want to destroy the oil refineries there;

(c) whether the Union Government have provided any help to the State Government to face the threat; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI INDRAJIT GUPTA): (a) Yes Sir.

(b) There is a report to that effect.

(c) and (d) The Government is aware of the situation in the State and the same is under constant watch and close review. The State Government and the Ministry of Petroleum, have been duly sensitized. Regular review of security of these installations is being taken and necessary measures have been taken.

Demand for Telephone in Hill Districts of Uttar Pradesh

*213. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to the Starred Question 352 given in the Rajya Sabha on the 20th December, 1995, and State:

(a) whether the study has also covered the Lansdown-Rikhnikhal-Beeronkhal Motor Road area;

(b) if so, whether there is heavy demand for telephone from the public in this area; and

(c) what steps are being taken to provide telephone lines in this area at the earliest?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) There is no heavy demand in these areas. However, plans have been made to provide telephone lines by expanding the exchange at Landsdown and opening a new exchange 128 P C-DOT at Rikhnikhal during 1997-98.

काली सूची में शामिल दूर-संचार फमों के विरूद्ध कार्रवाई

214. **श्री नागमणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने काली सूची में शामिल दूरसंचार फमों के विरूद्ध कोई कार्रवाई आरंभ की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फमों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या है; और

(ग) इन फमों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या हैं?

संचार मंत्री (**श्री बेनी प्रसाद वर्मा**) : (क) कुछ फमों के व्यापारिक कार्यकलापों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई शुरू की गयी हैं।

(ख) विवरण में दी गयी सूचना के अनुसार (नीचे देखिए) ।

(घ) विभाग द्वारा जांच अधिकारी नामित किया गया हैं। इन फमों को कारण बताओ नोटिस जारी की दिए गए हैं तथा उनके द्वारा उत्तर विचाराधीन हैं।

विवरण

फमों की सुची जिनके विरूद्ध व्यापार गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं।

1. मैं0 स्टरलाइट इंडस्ट्रिज (इंडिया) लिमिटेड, 903-905, टॉल्सटाय हाउस, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली 110001,
2. मैं0 बिरला इरिक्सन आप्टिकल लि0, डाकघर-चोरहाट, उद्योग विहार, रीवां-486006, (मध्य प्रदेश)
3. मैं0 हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्यूनिकेशन लि0, 8-कॉमर्सियल कंप्लेक्स, मस्जीद मोथ, ग्रेटर कैलास-11, नई दिल्ली 110048.
4. मैं0 भिलाई वायर्स लि0, (आप्टिकल फाइबर केबल डिविजन), के-33, बालाजी स्टेट के सामने कालकाजी, नई दिल्ली।
5. मैं0 आकाश इंडिया लि0, 9-डी, आत्माराम हाऊस, टाल्सटाय मार्ग, नई दिल्ली 11001..